Phone-0120-2783617
Fax-0120-2783618
E-mail-dfogzb@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

पत्रांक 3117 / 15-1 दिनांक, गाजियाबाद 05 फरवरी, 2019

अल्पकालीन निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद द्वारा किसी भी राजकीय विभाग (लोक निर्माण विभाग, सिचाई विभाग, जी0डी0ए0 व आर0ई0एस0 आदि) में पंजीकृत ए0, बी, सी, डी श्रेणी के पात्र ठेकेदारों अथवा सामग्री निर्माता से प्रतिस्पर्धा के आधार पर फाइन सैण्ड की आपूर्ति हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म इस कार्यालय से दिनांक 06.02.2019 से 14.02.2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किये जा सकते है। दिनांक 15.02.2019 को 2.00 बजे तक निविदायें सील बन्द लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक से कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सैक्टर–23, संजय नगर निकट ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल गाजियाबाद के पते पर प्राप्त हो जानी चाहिये। प्राप्त निविदायें दिनांक 15.02.2019 को 3.00 बजे आधोहस्ताक्षरी एवं निविदा हेतु गठित समिति के सदस्यों द्वारा खोली जायेगी। इच्छुक टेण्डर दाता चाहे तो निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते है, कार्य के विवरण के सम्बन्ध में किसी भी कार्य दिवस के दिन कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आपूर्ति स्थल का नाम	कार्य की मात्रा (फाइन सैण्ड घ0मी0)	कार्य की अनुमानित लागत लाख में	अर्नेस्ट मनी की धनराशि	टेण्डर फार्म का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फाइन सैण्ड	1–अपर गंग नहर	65.50	587880 रू0	11000 रू0	856 रू0 कर सहित	आपूर्ति आदेश के 10 दिन के अन्तर्गत आपूर्ति करना होगा।
		2– रावली सुराना मार्ग	65.50				
		3– मोहिददीनपुर खरखौंदा मार्ग	98.00				
		4– फरीदनगर अतरौली मार्ग	114.50				
		5– भोजपुर फरीदनगर मार्ग	114.50				
		6– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–24 से डासना जेल अपर गंग नहर तक दोंनो पटरी	131.00				

टेण्डर की शर्ते

1. टेण्डर फार्म अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 02.02.2019 से 10.02.2019 तक किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10.00 बजे से 05.00 बजे तक क्रय किये जा सकते।

2. टेण्डर से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
3. टेण्डर दाता द्वारा टेण्डर में दिया गया मूल्य 31.03.2019 तक मान्य होगा। टेण्डर में दिया गया दर समस्त करो सहित एवं उपरोक्त वर्णित स्थल तक ढुलान सहित होगा।
4. टेण्डर सील बन्द लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से ही दिनांक 15.02.2019 को 2:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है। अन्य किसी प्रकार निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. सामग्री क्रय की दर के ऊपर शैलो टेप अवश्य चिपकाया जाये तथा निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राइटिंग न की जायें, अन्यथा निविदा की दर को अमान्य किया जा सकता है।
6. टेण्डर दाता को टेण्डर के साथ अर्नेस्ट मनी की धनराशि जो कार्य की लागत का 2 प्रतिशत हो की एफ0डी0आर0 या एन0एस0सी0 के रूप में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद के पदनाम से निरूपित हो संलग्न करना अनिवार्य है।
7. टैंण्डर दाता का पंजीकरण किसी तकनीकी विभाग में अनिवार्य रूप से होना चाहिये तथा उक्त साम्रगी आपूर्ति का प्रयाप्त अनुभव होना चाहिये।
8. लिफाफे के बाहर मोटे अक्षरों में किस जगह व कार्य के लिये निविदा दी गई है स्पष्ट लिखा होना चाहिये।
9. उपरोक्त निर्धारित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के आधार पर ही कार्य निर्धारित मानकों व उच्च कोटि की न पाये जाने पर उसे स्वीकार नही किया जायेगा तथा निविदा दाता की बंधक धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं कोई भुगतान नही किया जायेगा।
10. उक्त आपूर्ति सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय वनाधिकारी एवं अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार करना होगा।
11. टेण्डर स्वीकृति होने के पश्चात कार्य आदेश की तिथिं से 10 दिन के अन्दर आपूर्ति करना होगा।
12. टेण्डर दाता को टेण्डर के साथ अपनी फ़र्म का आयकर रजिस्ट्रेशन संख्या/जी0एस0टी0 व गत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न एवं कर निर्धारण प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
13. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बतायें किसी भी टेण्डर को स्वीकृति/ अस्वीकृति करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
14. ऊपर प्रदर्शित कार्य की मात्रा अनुमानित है। विभागीय आवश्यकता तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य की मात्रा/संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

15. टेण्डर दाता के भुगतान से उस समय लागू आयकर, जी0एस0टी0 तथा स्टाम्प डयूटी की कटौती भुगतान के समय लागू दरों पर उनके बिल से कर ली जायेगी।
16. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
17. टेण्डर दाता के द्वारा जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
18. मूल निवास प्रमाण–पत्र।
19. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद

पत्रांक : 3117 / 15-1 दिनांक, गाजियाबाद
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वन संरक्षक प्रचार प्रसार 17 राणा प्रताप, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।
5. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
6. समस्त प्रभागीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
7. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
8. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
9. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद।
10. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 सिंचाई विभाग, गाजियाबाद।
11. जी0एम0 इण्डस्ट्रीज, गाजियाबाद।
12. सूचना अधिकारी गाजियाबाद को वृहत प्रचार प्रसार के लिये निःशुल्क समाचार पत्र में प्रकाशित कराने एवं विभागीय वैब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।
14. नोटिस बोर्ड।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
गाजियाबाद